

शिक्षित अनुसूचित जाति परिवार की संरचना में परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शिवानी कुमारी
रिसर्च स्कॉलर

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वरनगर, दरभंगा

डॉ० विश्वनाथ झा
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
सी.एम. कॉलेज, दरभंगा

सार

शिक्षकों की भूमिका इस संदर्भ में अति महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें इन वंचित समूहों के बच्चों के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इन वर्गों में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो उम्र में बड़े होने के कारण छोटे बच्चों के साथ कक्षा में बैठने में असहज महसूस करते हैं। इससे उनमें नकारात्मक भावना का विकास हो सकता है। इन बच्चों के लिए भी अनेक राष्ट्रीय व राज्य के पाठ्यचर्या कार्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिससे कि उन्हें मुख्य धारा व सामान्य वर्ग के हम उम्र बच्चों के समकक्ष लाया जा सके। अध्ययनों में यह पाया गया है कि यदि पाठ्यचर्या शिक्षकों की शिक्षण विधि व बच्चों की सीखने के वातावरण में विसंगतियाँ हों तो उनके विद्यालय छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक शिक्षक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी शिक्षण विधि को बच्चों के वातावरण के अनुकूल बना सके। अनुसूचित जाति के बच्चों के संदर्भ में यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनमें से ज्यादातर प्रथम पीढ़ी के विद्यालय जाने वाले और अत्यंत ही गरीब परिवारों से होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी भी संगठित सेवा क्षेत्र के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कुछ आधारभूत न्यूनतम औपचारिक स्कूली शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार है कि अनुसूचित जातियाँ सदैव ही अशिक्षा, निर्धनता, अन्ध-विश्वास और अज्ञानता के कारण शोषण और दमन का शिकार हुई हैं। चूंकि इन वर्गों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है

मुख्यशब्द: शिक्षित अनुसूचित जाति, परिवार की संरचना

परिचय

अनुसूचित जातियों का शैक्षिक विकास

भारत में प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी भी संगठित सेवा क्षेत्र के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कुछ आधारभूत न्यूनतम औपचारिक स्कूली शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार है कि अनुसूचित जातियाँ सदैव ही अशिक्षा, निर्धनता, अन्ध-विश्वास और अज्ञानता के कारण शोषण और दमन का शिकार हुई हैं। चूंकि इन वर्गों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष रूप से इन समुदायों के विकास पर विचार किया गया और अनुच्छेद 46, 15 (4), 29 (2) और 350 (क) में विशेष उपबन्ध बनाए गए और सुनिश्चित किया गया कि उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के पूरे अवसर प्राप्त हैं तथा उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षित किया जाए।

सांविधानिक उपबन्ध

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को सार्वभौम शिक्षा और कमजोर वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष उपबन्धों की व्यवस्था करना शामिल है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार, सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध बना सकती है। अनुच्छेद 29 (2) यह सुनिश्चित करता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक कारण के आधार पर राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से निधि प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने से इन्कार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350 (क) में, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निदेश दिए गए हैं। चूंकि राज्य की राजभाषा से भिन्न अधिकांश जातीय समुदायों की अपनी भाषाएं हैं, इसलिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई है कि जातीय समुदायों के बच्चों को कम से कम कक्षा 1 और कक्षा 1 में शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि इन बच्चों को उच्चतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी दी जाए। उपर्युक्त अनुबन्धों के अनुपालन में संघ और राज्य सरकारों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो जाने के बाद अनेक कदम और शैक्षिक स्कीमें शुरू की गई थी जो निम्न प्रकार से हैं

उद्देश्य

1. शिक्षित अनुसूचित जाति परिवार की संरचना में परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
2. भारत में प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शैक्षिक स्कीमें

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए चलाई गई शैक्षिक स्कीमें निम्न प्रकार से थीं :

- छात्रवृत्ति (मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद) ।
- जातीय क्षेत्रों में स्कूल खोलना ।
- पुस्तकें और छात्रावास शुल्क प्रदान करना ।
- आवासीय स्कूल, बालबाड़ी, सामुदायिक केन्द्र आदि खोलना ।

धीरे-धीरे शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में विस्तार किया गया और अधिक स्कीमें प्रारम्भ की गईं। इस समय जो विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :-

केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

1. अनुसूचित जातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां प्रदान करना

2. अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था
3. अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास
4. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
5. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक - कोष (बुक - बैंक) शिक्षण और संबद्ध स्कीमें
6. राष्ट्रीय विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति (नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप)
7. अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास
8. ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास की स्थापना करना जहाँ साक्षरता दर 10.2% से कम हो
9. अनु. जाति के विद्यार्थियों में योग्यता (मेरिट) बढ़ाने के लिए स्कीमें
10. जातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय
11. अनुसूचित जातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

राज्य क्षेत्र (सेक्टर) स्कीमें

1. विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्तियों और वजीफों की व्यवस्था
2. पाठ्य-पुस्तकों, लेखन-सामग्री, उपकरणों, वर्दियों, खेल सामग्री आदि की आपूर्ति
3. बालबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों (प्राइमरी स्कूल), मिडिल विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक
4. विद्यालयों का प्रशासन
5. अनु. जाति के विद्यार्थियों को उपस्थिति पुरस्कार
6. आवासीय विद्यालय
7. छात्रावास
8. प्राइवेट छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुख-सुविधाएं और आवास के किराये के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
9. मेरिट स्कालरशिप
10. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर परीक्षा शुल्क और शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
11. अध्ययन भ्रमण

12. दोपहर का भोजन
13. शिक्षा जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को ऋण
14. व्यावसायिक शिल्प कक्षाएं
15. कोचिंग और अध्ययन केन्द्र
16. अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास की वर्तमान स्थिति को देखने के पश्चात् हम केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का विस्तार से विश्लेषण करना शुरू करेंगे। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष तथा 9 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ है। इसलिए यह अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के विभिन्न सूचकों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त समय है। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सामान्य, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या में साक्षरता की समग्र स्थिति में देखी जा सकती है। देश में वर्ष 1961 और उसके बाद की जनगणना में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जातियों के बीच पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता की प्रवृत्ति तथा उनका कुल साक्षरता में दर्शाया गया है।

प्रत्येक जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती है। 26 जनवरी, 1950 ई० को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात् ही जातियों एवं जातीय समुदायों को 'अनुसूचित जातियों की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस की गई। वैसे तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 ई० में भी 'पिछड़ी जातियों' का सन्दर्भ मिलता है। भारत सरकार के आदेश के अन्तर्गत तेरहवीं अनुसूची के अन्तर्गत असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई की कुछ जातियों को 'पिछड़ी जातियों' की श्रेणी में रखा गया था।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् 1950 ई० में जातीय समुदायों की पहचान कर 212 ऐसी जातियों की सूची तैयार की गई जिन्हें 'अनुसूचित जाति आदेश 1950 ई०' के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया तथा इन्हें 'अनुसूचित जाति' माना गया। इस सूची में सभी जातीय समुदायों को अनेक कारणों से सम्मिलित नहीं किया गया यद्यपि वे सभी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। परिणामस्वरूप इस आदेश का काफी विरोध हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए 'पिछड़ी जाति आयोग' का गठन किया गया जिसके अनुमोदन से पूर्व में बनाई गई सूची को संशोधित किया गया। इसके साथ ही 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' लागू किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य की सूचियों में भी परिवर्तन किया गया।

वस्तुतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक सूचना के द्वारा समय-समय पर जातियों अथवा जातीय समुदायों को सूचीबद्ध कर उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखे। इस प्रकार, अनुसूचित जाति से अभिप्राय संविधान के प्रावधानों के अनुकूल सूचीबद्ध की गई जाति से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड 1 में कहा गया है कि, "अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ अथवा जातीय समुदाय या उनका कोई हिस्सा या इन जातियों का कोई समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक सूचना द्वारा अनुच्छेद 342 (i) के अन्तर्गत रखा गया है।" भारत सरकार द्वारा तथा प्रदेश सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न जातियों को अनुसूचित श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस सूची में अधिकांश जातियों को सम्मिलित किया गया है तथा उनके उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं।

अनुसूचित जाति की विशेषताएँ

अनुसूचित जातियों की विशेषताओं को जातियों की सामान्य विशेषताओं से पृथक् करना एक कठिन कार्य है। फिर भी, अनुसूचित जातियों में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. अनुसूचित जातियाँ आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई हैं। उनकी अर्थव्यवस्था अत्यन्त सरल तथा अविकसित होती है।
2. अनुसूचित जातियों की आधे से अधिक (55 प्रतिशत) जनसंख्या पूर्वी तथा मध्य जातीय क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश का कुछ भाग) तथा एक-चौथाई से थोड़ा अधिक (28 प्रतिशत) भाग पश्चिमी जातीय क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र राजस्थान, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन तथा दीव) में निवास करता है।
3. अनुसूचित जातियाँ शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। 2001 ई० की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 47-1 प्रतिशत है, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64-8 प्रतिशत है। जातीय महिलाओं तथा सामान्य महिलाओं में साक्षरता के प्रतिशत में और अधिक अन्तर है। जातीय महिलाओं की साक्षरता का औसत केवल 34-8 प्रतिशत है, जबकि देश की सामान्य महिलाओं का साक्षरता का औसत 53-7 प्रतिशत है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इनके शैक्षिक उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं।

अनुसूचित जाति के बच्चों की शैक्षिक विकास का तुलनात्मक परिदृश्य

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समानता व मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधानों व संशोधनों को शामिल किया गया है। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 69 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है फिर भी हमारा देश सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विश्व पटल पर पिछड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण है, शिक्षा एवं साक्षरता में पिछड़ापन। इस स्थिति से उबरने के लिए समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अनेकानेक शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू भी किया, लेकिन उनके आशातीत परिणाम सम्भवतः इसलिए ही नहीं मिल पाये, क्योंकि अब तक विद्यालयों में वंचित समूहों के बच्चों को शतप्रतिशत नामांकन नहीं कराया जा सका है और यदि इन बच्चों ने कहीं प्रवेश ले भी लिया, तो उनमें से अधिकांश शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ जाते हैं। इस तथ्य को इस बात से समझा जा सकता है, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल साक्षरता दर जहाँ 74.04% है वहीं अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10% ही है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता दर पर एक नज़र डालें, तो ज्ञात होगा, कि वर्ष 2011 में सामान्य महिला साक्षरता दर 65.46% थी जिसकी तुलना में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर 56.50% ही है।

अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए नीतियाँ

भारत एक स्वायत्त, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, धर्मों, रीतियों व परंपराओं का देश है। विविधता भारतीय समाज की जीवनशैली व विशेषता है। ब्रिटिश युग में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समानता के अवसरों को प्रभावित किया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अंग्रेज़ों की एक प्रमुख नीति "डाउनवर्ड फिल्टरेशन सिद्धांत" थी। नीति मैकाले मिनट्स (1835), जो कि अंग्रेज़ों की भारतीय शिक्षा नीति का आधार थी, मुख्य रूप से कुलीन व उच्च वर्ग के लोगों पर केंद्रित थीं तथा इसमें अंग्रेज़ी भाषा पर विशेष ध्यान केंद्रित

था। कुलीन वर्ग मात्र को ही शिक्षा प्रदान करने का परिणाम यह हुआ कि गरीब वर्ग और समाज के निम्न वर्ग से आने वाले लोग, जिनमें प्रायः पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के लोग आते थे, शिक्षा से वंचित रहे। इससे शिक्षा में असमानता का विकास हुआ। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षण संस्थाएं बिना किसी बाधा के सबके लिए खुली थीं। नार्सिक (1975) ने डरवार केस (Darwar Case 1856) का उल्लेख करते हुए बताया है कि जब एक अछूत बालक को विद्यालय में इस आधार पर प्रवेश देने से मना कर दिया कि उसके प्रवेश लेने से अन्य सवर्ण वर्ग के बच्चे विद्यालय छोड़ देंगे तो तत्कालीन गवर्नर जनरल के साथ ही तत्कालीन ईस्ट इण्डिया कंपनी के निदेशकों की बैठक ने भी इसकी घोर भर्त्सना की। यह आदेश दिया गया कि कोई भी सरकारी विद्यालय किसी भी अछूत बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता फिर चाहे इसके परिणामस्वरूप विद्यालय ही क्यों न बन्द करना पड़े।

भारतीय संविधान में मानव अधिकारों व सामाजिक समानता को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए व इन प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन भी किए गए। इस प्रक्रम स्वनतंत्रता के पश्चात तीन मुख्य आयोगों की स्थापना की गई। राधाकृष्णन शिक्षा आयोग 1948 संपूर्ण विद्यालय शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रख कर बना था। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952 (जिसे द्वितीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं) ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था विशेषकर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। कोठारी आयोग (तृतीय शिक्षा आयोग 1964-66) ने शैक्षणिक अवसरों की समानता (अध्याय 6, पृष्ठ 108, पैरा 6.01) पर दृष्टि डाली। जिसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य अवसरों की समानता प्रदान करके पिछड़ों व हाशिये पर खड़े वर्गों के लोगों को ऐसे अवसर प्रदान कराना है जिससे कि वह शिक्षा का इस्तेमाल स्वयं की दशा सुधारने में कर सकें। प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को महत्व देता है और आम आदमी की दशा सुधार कर उन्हें उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करना चाहता है, उसे अवश्य ही अपने समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। समतामूलक समाज, जहाँ लोगों का शोषण कम से कम हो, बनाने का यही एकमात्र रास्ता है। इसी बात का उल्लेख राष्ट्रीय नीति निर्धारण (1968) में भी किया गया है। आयोग ने और भी कई संस्तुतियाँ, जैसे कि अनुसूचित जाति के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1986) समतावादी व समावेशी शिक्षा की पक्षधर थी। यह समाज के उन वर्गों, जिन्हें शिक्षा में समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाए थे।

बदलती पारिवारिक संरचना:

परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सामाजिक परिवर्तन लोगों द्वारा अपनी दैनिक दिनचर्या में किए जाने वाले समायोजन को दर्शाता है। यह समाज में होने वाले हर विकास को संबोधित नहीं करता है। "सामाजिक परिवर्तन" शब्द का उपयोग सीमित अर्थ में सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करने के लिए किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न, संबंधों या संगठन का कोई भी घटक सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल जाएगा। परिणामस्वरूप समाज का संरचनात्मक और मानक ढांचा बदल रहा है।

सामाजिक व्यवस्था हमेशा विकसित होती रहती है। हमारे समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अब भारतीय परिवार द्वारा महसूस किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के तरीकों में काफी बदलाव आया है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और व्यावसायीकरण की प्रक्रिया ने परिवार को काफी प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों में पलायन, मलिन बस्तियों का

विस्तार, जाति आधारित और वंशानुगत नौकरियों से प्रौद्योगिकी प्रगति द्वारा संभव किए गए नए रोजगार पैटर्न में बदलाव, बाजार में अस्तित्व के लिए भीषण संघर्ष और कई अन्य आर्थिक कारकों ने परिवारों को प्रभावित किया है।

विवाह और परिवार की संस्था भी वैसी ही नहीं रहेगी। यद्यपि लोग विश्वसनीयता की आकांक्षा रखते हैं, समाज स्थायित्व का आभास देता है, और निश्चितता की खोज निरंतर जारी रहती है, फिर भी समाज एक सतत परिवर्तनशील घटना है जो समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरते हुए, विकसित होती है, क्षीण होती है, नवीनीकृत होती है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति के बच्चों का शैक्षिक विकास आज भी अपर्याप्त व तय किए गए लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। उन्हें अभी भी शिक्षा में समानता के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इनकी दशा सुधारने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु आर्थिक वंचना, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, सामाजिक कुप्राथाएँ, विद्यालयों की अनुपलब्धता या पहुँच से दूर होना, मूलभूत ढाँचागत सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी व अप्रासंगिकता शिक्षण - अध्ययन सामग्री आदि की वजहों से स्थिति गंभीर बनी हुई है। कार्यक्रम व योजनाएँ तो बहुत हैं, परन्तु उनके अनुपालन के स्तर पर बहुत कमियाँ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु प्रशिक्षण परिलक्षित होती हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा सभी बच्चों का विद्यालयों में पूर्णकालिक नामांकन आवश्यक है। उनके नामांकन को बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को घटाने, उन्हें अन्य वर्गों के बच्चों के समकक्ष लाने के लिए अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम व नीतियाँ बनाई गईं।

संदर्भ

1. अग्रवाल, वाई.एस. (1992)। अनुसूचित जाति को शिक्षित करना। नया दिल्ली: एनआईईपीए.
2. शारदा, बी.डी. (1991)। जातियाँ जाति और हरिजन संरचना असमानताएँ और गतिशीलता. दिल्ली: अजंता प्रकाशन बाबू
3. एम.आर. और चन्द्रशेखरय, टी. (2015)। शिक्षा की स्थिति और अनुसूचित जातियों के विकास पर इसका प्रभाव: अवलोकन। बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल अनुसंधान एवं विकास, 2(1): 356-360।
4. भुइमाली, ए. (2007)। अनुसूचित जाति का विकास. नया दिल्ली: धारावाहिक प्रकाशन। भारत की जनगणना, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना का कार्यालय आयुक्त, भारत, 2011।
5. चंडीदास, आर., (1969)। समानता के कितने करीब अनुसूचित हैं जातियाँ? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 4(24): 975-979। चौहान, बी.आर. (1975)। अनुसूचित जाति एवं शिक्षा. मेरठ: अन्नू प्रकाशन।
6. चौधरी एस., और बोस, पी. (2004)। शिक्षा पर व्यय भारत में: एक संक्षिप्त नोट। सामाजिक वैज्ञानिक, 85-89.
7. दास टी. और हलदर, टी. (2018)। शिक्षा के कारण अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों का पिछड़ापन
8. पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा स्तर। अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 6(1):1523-1530।

9. देसाई, उदय. (1991)। शैक्षिक प्रदर्शन के निर्धारक भारत में: घर और परिवार की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा शिक्षा विभाग, 37(2): 245-265.
10. डेंडे, एल.डी. (2018)। अनुसूचित जाति और उच्चतर का एक अध्ययन भारत में शिक्षा परिदृश्य. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान और अनुसंधान, 4(11): 345-351.
11. फिल्मर, डी. (2000)। में सामाजिक विषमताओं की संरचना भारत: लिंग और धन। विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर, (2268)।
12. घोष बी.एन. (1985): 'जनसंख्या भूगोल के बुनियादी सिद्धांत' स्टर्लिंग पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। पृ. 133
13. जॉन सिमंस और लेह अलेक्जेंडर (1978)। निर्धारक विकासशील देशों में स्कूल की उपलब्धि: ए अनुसंधान की समीक्षा. आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, 26(2): 341-357.
14. किंगडन, जी.जी. (2007)। में स्कूली शिक्षा की प्रगति भारत। आर्थिक नीति की ऑक्सफोर्ड समीक्षा, 23(2): 168- 195.
15. महत, एच., यज़ीद सालेह, मोहम्मदिसा हाशिम और नासिर नयन (2016)। जागरूकता पर मॉडल विकास सतत विद्यालयों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मलेशिया, इंडोनेशियाई जर्नल ऑफ ज्योग्राफी, 8(1), 37- 46.
16. मिल्ड्रेड बी. लेवी (1971)। प्राथमिक विद्यालय के निर्धारक ड्रॉपआउट: नीतियां और उपलब्धि। तुलनात्मक